राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं –7, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर –302016
फोन : 0141–4004914 **Website:** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं / काउ. (सत्र 2020–21) / 2021 / 156 दिनांक : 30/11/2021

–ःतृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड (द्वितीय चरण) हेतु समय–सारणी एवं दिशा–निर्देशः–

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा सत्र 2020–21 मे विभिन्न पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों मे प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के द्वारा ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत किये गये थे, जिसके क्रम में कौंसिल द्वारा प्रथम व द्वितीय ऑन लाईन एवं मॉप–अप राण्ड (प्रथम चरण) काउन्सलिंग का आयोजन किया जाकर पात्र / वरीयता अनुसार अभ्यर्थियों को महाविद्यालय / संस्था व पाठ्यक्रम आवंटित किये जा चुके है, शेष आवेदक जिनकों प्रथम एवं द्वितीय ऑन लाईन काउन्सलिंग मॉप–अप राण्ड (प्रथम चरण) में कोई भी महाविद्यालय / पाठ्यक्रम आवंटन नहीं हुआ है या जिन्हें काउन्सलिंग के पूर्व के चरणों में महाविद्यालय / संस्थान आवंटित होने के उपरान्त भी किसी कारण से अपनी उपस्थिति महाविद्यालय / पाठ्यक्रम में प्रस्तुत नहीं की गई है, तो ऐसे इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए तृतीय एवं मॉप–अप राउण्ड (द्वितीय चरण) का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा हैः–

काउन्सलिंग स्थानः– चौपाल प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, बड़ोदिया बस्ती, रेल्वे स्टेशन के पास, आरटीडीसी स्वागतम हॉटल के पीछे, जयपुर

क्र.सं.	दिनांक	समय	प्रतिदिन आने वाले अभ्यर्थियों का विवरण
1	02.12.2021 (गुरूवार)	09.30 A.M.	समस्त दिव्यांगजन (PH) / डिफेन्स (WPP-WDP) / विधवा / तलाकशुदा के कोटे के समस्त अभ्यार्थी।
		10.00 A.M.	अनुसूचित जाति, ई.डब्लू.एस., एम.बी.सी. श्रेणी के समस्त अभ्यार्थी। (सूची संलग्न)
		12.30 P.M.	टी.एस.पी. एवं सहरिया श्रेणी के समस्त अभ्यार्थी।
		02.00 P.M.	अनुसूचित जनजाति श्रेणी के समस्त अभ्यार्थी। (सूची संलग्न)
		03.00 P.M.	ओ.बी.सी. (महिला) श्रेणी के समस्त अभ्यार्थी। (सूची संलग्न)
2	03.12.2021 (शुक्रवार)	09.30 A.M.	ओ.बी.सी. वर्ग के पुरूष अभ्यार्थी, जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा (12^{th}) में प्राप्तांक 61 प्रतिशत या इससे अधिक हो। (सूची संलग्न)
		02.00 P.M.	ओ.बी.सी. वर्ग के पुरूष अभ्यार्थी, जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा (12^{th}) में प्राप्तांक 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 61 प्रतिशत से कम हो। (सूची संलग्न)
3	04.12.2021 (शनिवार)	09.30 A.M.	सामान्य (महिला) श्रेणी के अभ्यार्थी। (सूची संलग्न)
		11.00 A.M.	अनारक्षित वर्ग के समस्त पुरूष अभ्यार्थी, जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा (12^{th}) में प्राप्तांक 45 प्रतिशत से अधिक हो। (सूची संलग्न)

नोटः–

1. उपर्युक्त तालिका में यथावर्णित समस्त अभ्यार्थी संबंधित संलग्न सूची में अपना 'Token Number' नोट कर लेवें। काउन्सलिंग के दौरान इसी 'Token Number' से अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जावेगा।
2. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड के माध्यम से जिन **अभ्यार्थियों को महाविद्यालय / संस्थान आवंटित किया जाएगा है, उनको आवंटन के चार दिवस के भीतर संबंधित आवंटित महाविद्यालय / संस्थान में अपनी उपस्थिति (Reporting) अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी।**
3. **यह काउन्सलिंग सत्र 2020–21 का अंतिम अवसर है, जिसमें श्रेणीवार अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने पर शेष सीटों को मेरिट के अनुसार उपलब्ध अन्य वर्ग को आवंटित कर दिया जायेगा।**

उपरोक्त अभ्यार्थियों को निर्धारित दिनांक व समय पर **चौपाल प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, बड़ोदिया बस्ती, रेल्वे स्टेशन के पास, आरटीडीसी स्वागतम हॉटल के पीछे, जयपुर** में आवश्यक रूप से व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देशों को पालन किया जाना आवश्यक हैः–

1. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड (द्वितीय चरण) हेतु उपर्युक्त सारणी में वर्णित श्रेणी व मेरिट अनुसार उनके सामने अंकित दिनांक व निर्धारित समय पर को अभ्यर्थी को स्वंय उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय पर अभ्यर्थी स्वंय उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे प्रकरणों में अन्य अभ्यर्थी को रिक्त सीट हेतु पात्र मानते हुए सीट आवंटित कर दी जावेगी। विनिश्चित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर उन्हें काउन्सलिंग में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।
2. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में Upward Movement किये जाने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
3. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में अभ्यर्थी को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों एवं उनकी छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है:–
   - ऑन लाईन एप्लीकेशन फॉर्म
   - विकल्प पत्र।
   - 10वीं कक्षा की मूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र।
   - 12वीं कक्षा की मूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र।
   - प्रव्रजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate)।
   - मूल निवास।
   - जाति प्रमाण पत्र।
   - आधार कार्ड एंव अन्य कोई भी फोटो पहचान आई.डी जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई।
   - राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (Medical Fitness Certificate)।
   - अन्य दस्तावेज जो अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाईन आवेदन करते समय प्रस्तुत किये हों जैसे P.H. Certificate/ WDP(Wards of Defense Personal) Certificate/ WPP(Wards of Para-military Personnel) Certificate/Widow/ Divorcee Certificate, जो **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हों।**
   - दो कलर पासपोर्ट साईज फोटो।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी, जिनका प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम पुराना हो, वे नियमानुसार स्वंय का शपथ पत्र जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो, के साथ ही उपस्थित होंगे।
5. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को उपरोक्त मूल दस्तावेजों के अभाव में काउन्सलिंग में शामिल नहीं किया जावेगा।
6. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में उपस्थित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत अंक–तालिकाओं (कक्षा 10वीं व 12वीं) का मिलान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी समकक्षता निर्धारित करने संबंधित अनुदेशिका से किया जावेगा, कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड की समकक्षता नहीं होने पर अभ्यर्थी को काउन्सलिंग हेतु अपात्र माना जावेगा अथवा अभ्यर्थी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण हेतु सीट आवंटित नहीं की जावेगी।
7. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि **उच्च माध्यमिक परीक्षा सामान्य वर्ग अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति व अन्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की गई हो।** इससे कम अंक वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
8. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित विषय) से उत्तीर्ण की गई है। **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित विषयों के अलावा अन्य विषयों यथा कृषि विज्ञान, भूगोल आदि विषयों से उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण अभ्यर्थी पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा।**

9. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी की **आयु दिनांक 31.12.2020 तक 17 वर्ष** पूर्ण होनी अनिवार्य है।
10. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी नहीं है, तो ऐसे समस्त प्रकरणों में उन्हें उनके राज्य के अधीन प्रदत्त आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावेगा तथा उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाकर उसी अनुसार महाविद्यालय में आवंटन किया जावेगा।
11. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में यदि कोई अभ्यर्थी दिव्यांगजन **(Physical Handicapped)** श्रेणी का है तो ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में मेडिकल बोर्ड से परीक्षण उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु योग्य पाये जाने के उपरान्त ही आवंटित संस्थान में उपस्थिति देनी होगी।
12. **तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में समस्त अभ्यर्थियों को कोविड–19 प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। अभ्यर्थी फेस मास्क के साथ उपस्थित होने पर ही काउन्सलिंग में शामिल किया जायेगा।**

(कैलाश नारायण मीना)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं/काउ. (सत्र 2020–21)/2021/156 **दिनांकः**–30/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. सचिव, चौपाल प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर।
5. परीक्षा नियत्रंक, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
6. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
7. संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ।
8. सर्वररूम प्रभारी, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर को भेजकर लेख है कि आज ही वैबसाईट पर अपलोड करें।
9. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार